न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 171/2017 (RCMS No.- 2017/00233)

उनवान प्रकरण :–

रामजीलाल पुत्र रामचरन जाति काछी निवासी फौदा का चौक सरमथुरा जिला धौलपुर ———————— अपीलार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा जिला धौलपुर ——— रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.10.2017 तहसीलदार तहसीलदार सरमथुरा प्र.सं. 48/17 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम रामजीलाल अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलार्थीगण की ओर से :– श्री वीरेन्द्रकुमार त्यागी अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–15.01.2018

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार सरमथुरा के निर्णय दिनांक 26.10.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत गई कि आराजी खसरा नम्बर 727 रकबा 0.27 हैक्टेयर किस्म वारानी सोयम मे से 0.02 हैक्टेयर रकबा पर दुकान पक्की बना कर अतिकमण कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है एवं इसी के मुताबिक पटवारी हल्का ने अपने बयान को भी लेखबद्व कराया है। जबकि अपीलान्ट को कोई नोटिस नही भेजा गया, अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस भेजा भी गया तो उस नोटिस की प्रोपर तामील अपीलान्ट पर नही हुई न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की अपीलान्ट के घर पर चस्पान्दगी ही कराई गई। अधीनस्थ के समक्ष पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान को लेकर मौके की स्थिति की समुचित रूप से अपने स्तर पर जांच करानी चाहिए थी जिसे अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में जिस खसरा नम्बर पर अपीलान्ट का कब्जा एवं अतिचार कर दुकान होना

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

जाहिर किया है वह अपीलान्ट के खिलाफ अवैध व शून्य है। अपीलान्ट ने अपनी स्वयं की पुश्तैनी जगह में ही दुकान का निर्माण कराया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को दुकान को ध्वस्त एवं नष्ट करने तथा नीलामी करने का अधिकार नही हैं। अपीलान्ट को कभी भी उक्त प्रकरण की जानकारी नही रही, अपीलान्ट के पास पुलिस थाना सरमथुरा से अपीलान्ट के घर गये और कहा कि कुछ पूछताछ करनी है हमारे साथ थाने चलो और थाने लाकर हवालात में बन्द कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के मुताबिक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जब अपीलान्अ ने पुलिसवालो से पूछताछ की व उक्त आदेश की नकल प्राप्त होने पर इसकी जानकारी हुई इसलिए अपील में देरी हुई इस संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरमथुरा का आदेश दिनांक 26.10.2017 मुकदमा नम्बर 48/2017 उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल अधीन धारा 91 एल0 आर0 एक्ट निरस्त फरमाया जावे व अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि वह अपीलान्ट की पुरतैनी जगह में बनी दुकान को नष्ट व नीलामी नही करे और न ही दुकान को ध्वस्त करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलार्थी ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 26.10.2017एवं आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती, एक माह के कारावास से दण्डित करने एवं दुकान को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। जबकि अपीलार्थी अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में अपीलार्थी पर नोटिस की प्रोपर तामील नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं उसके बयान को आधार मानते हुये आदेश पारित किया गया है, अपीलान्ट द्वारा स्वयं की पुश्तैनी भूमि पर जब दुकान का निर्माण कराया उस समय पटवारी हल्का को आपत्ति करनी चाहिए थी। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकमी नही है। अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट पूर्व अतिक्रमी है। उन्होने अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिना किसी अधिकार के राजकीय भूमि पर वर्ष 2016 में पुख्ता दुकान का निर्माण कर अतिकमण किया गया पटवारी हल्का ने अपने बयान

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

में अपीलान्ट के द्वारा वर्ष 2016 में फसल रबी में उक्त खसरा नम्बर पर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखल किया जाना बताया गया है जिसकी पुष्टि दैनिक डायरी दिनांक 4.7.2017 में दर्ज बेदखली की कार्यवाही के अंकन से होती है। अपीलान्ट द्वारा इस वर्ष भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिससे यह सिद्व होता है कि अपीलान्ट बार बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है। अपीलान्ट पर नोटिस की तामील चस्पान्दगी से हुई है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2017 की पालना में पुलिस थाना सरमथुरा द्वारा दिनांक 10.12.2017 को गिरफ्तार किया जाकर उसको सिविल कारावास भेजा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट के द्वारा राजकीय भूमि से अतिक्रमण को नही हटाया है। उन्होने अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दैनिक डायरी पटवारी दिनांक 4.7.2016 के अंकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण से अपीलार्थी को जुलाई 2016 में भी बेदखल किया गया था।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से यह सिद्व होता है कि अपीलान्ट द्वारा इस वर्ष भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि अपीलार्थी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील नहीं हुई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 25.9.2017 एवं दिनांक 5.10.2017 को जारी नोटिस अपीलान्ट के घर के खुले दरवाजे पर चस्पा कराये गये है किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ और कोई जबाबदेही नही की।
4. अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2017 की पालना में पुलिस द्वारा दिनांक 10.12.2017 को गिरफ्तार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास भेजा जा चुका है जिसको एक माह का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्व हो सके कि उसके द्वारा राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटा लिया हो, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट वर्तमान में भी उपरोक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अतः आदेश है कि अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तहसीलदार सरमथुरा को निर्देश दिये जाते है कि वह आराजी खसरा नम्बर 727 रकबा 0.27 हैक्टेयर स्थित ग्राम सरमथुरा पर अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण को नही हटाये जाने के संबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) के तहत प्रभावी कार्यवाही कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर दर्ज की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर,धौलपुर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)